डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण).

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 फरवरी 2001—माघ 14, शक 1922

शिक्षा विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ 73/1/99/सी. 3/38.—यत: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 73/1/99/सी. 3/38 दिनांक 8 जनवरी, 2000 द्वारा राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 13, 14, 20 से 25, 40, 47, 48, 54 तथा 67 के उपबंध उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए तारीख 8 जनवरी 2000 से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में लागू किए हैं.

और यत: राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थिति अभी विद्यमान है जिसमें उपरोक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है.

अतएव मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि में तारीख 8 जनवरी, 2001 से आगे एक वर्ष की कालावधि की और वृद्धि करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, सचिव.

क्रमांक एफ 73/1/99/सी. 3/38 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (तीन) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 73/1/99/सी. 3/38 दिनांक 7 जनवरी, 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, सचिव.

Raipur, the 7th January 2001

NOTIFICATION

No. F 73/1/99/C. 3/38.—WHEREAS, vide this department notification No. F 73/1/99/C. 3/38 dated the 8th January, 2000, the State Government under section (1) of Section 52 of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) applied the provision of Section 13, 14, 20 to 25, 40, 47, 48, 54 and 67 of the said Act, to the Pandit Ravishankar Shukla Vishwavidhyalaya, Raipur subject to the modification specified in the Third Schedule of the said Act, with effect from 8th January, 2000.

AND WHEREAS, the State Government is satisfied that the situation still continues to exist in which the Administration of the above Vishwavidhyalaya cannot be carried out in accordance with the provisions of the said Act.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 52 of the Madhya Pradesh Vishwavidhyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), the State Government hereby extends the period of operation of the said notification for one year with effect from 8th January, 2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
D. S. MISHRA, Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.